न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 01/2012

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 रामनिवास पुत्र मोहन जाति अहीर निवासी ग्राम भाण्डाला पोस्ट हंसामपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

सत्यमेव जयते

बनाम

Web Copy - Not Official

1 रामेश्वर पुत्र गोविन्दाराम।
2 बहादुर पुत्र गोविन्दाराम समस्त जाति अहीर निवासी भाण्डाला पोस्ट हंसामपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(ए)सीपीसी
बाबत न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर
दण्डित करने हेतु

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उपस्थित

1. श्री मदनलाल शर्मा अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री लक्ष्मण सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–31.10.2018

यह आवेदन अवमानना इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 234/06 में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 31.10.2006 की अवमानना पर प्रस्तुत किया गया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 234/2006 में दिनांक 31.10.2006 को उभयपक्ष को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्ध किया था दिनांक 30.03.2007 को अनावेदकगण ने रात्रि में आवेदक की कब्जे काश्त की भूमि में बोई गई चने की फसल काट ली। इस न्यायालय के आदेश की अवमानना की है अत आवेदन स्वीकार कर अनावेदकगण को दण्डित किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अनावेदकगण ने तर्क दिया कि विवादित भूमि अनावेदकगण के कब्जे काश्त की है उस पर चने की फसल अनावेदकगण की थी उन्होने अपने कब्जे काश्त की भूमि पर फसल काटकर इस न्यायालय के आदेश की अवमानना नही की है। आवेदन मिथ्या है आवेदन खारिज किया जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। इस न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के सन्दर्भ में उभयपक्ष को मौके व रिकार्ड की यथास्तिथि बनाये रखने के लिए पाबंध किया था। विवादित भूमि पर कब्जे की स्थिति को लेकर विवाद है विवादित भूमि पर फसल काटने के सन्दर्भ में सिविल न्यायालय में फौजदारी प्रकरण विचाराधीन है जिसमें बाद जांच निर्णय होना है ऐसी स्थिति में साक्ष्य एवं क्षेत्राधिकार के अभाव में इस स्तर पर कोई कार्यवाही इस न्यायालय द्वारा किया जाना सम्भव नही है। अवमानना आवेदन के कथनों को साबित करने में आवेदक सफल नही रहा है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अवमानना आवेदन साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

31.X.18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर